

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील सं० 17/2020

1. राजेन्द्र पुत्र श्री धनराज जाति जाट साकिन चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांत

बनाम्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार (राजस्व) नोहर दिनांक 25.08.2020

अनवानी प्रकरण राजू बनाम राज्य सरकार प्रकरण सं० 02/2020

उपस्थित:- श्री विजय कौशिक अधिवक्ता, अपीलांत

राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक:-21.12.2021

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है:-

1. अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून वाक्यात व ईन्साफ होने से काबिल निरस्ती है।
2. विचारण न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी लाखासर ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर कथन किए कि अप्रार्थी राजू पुत्र श्री धनराज जाति जाट साकिन चैनपुरा तहसील नोहर द्वारा ग्राम चैनपुरा के खसरा नम्बर 265 की 5.563 है० में से 0.006 है० गै० मु० पायतन में ट्यूबेल लगाकर नाजायज अतिक्रमण किया है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा कतई एक पक्षीय तौर से अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांत को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भूराजस्व दर का 100 गुणा के बराबर तवान राशि लगभग 1 रूपये से दण्डित किये जाने एवं अतिक्रमी को मौका से बेदखल किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये जो विधिक प्रावधानों के कतई विपरित होने के कारण अपीलांत निम्न आधारों पर अपीलाधीन निर्णय को चुनौती दे रहा है।
3. अपीलाधीन आदेश कतई एक पक्षीय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व


अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस दिए एवं बिना नोटिस तामील करवायें साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जो विधि विरुद्ध एवं अवैध है विचारण न्यायालय ने राजू पुत्र धनराज के नाम से समस्त कार्यवाही सम्पादित की है जबकि अपीलांट का नाम राजेन्द्र है परन्तु अपीलाधीन निर्णय पारित होने के पश्चात अपीलांट द्वारा स्थापित ट्यूबेल को हटाने का हल्का पटवारी के द्वारा कथन करने पर अपीलांट अपीलाधीन निर्णय को चुनौती दे रहा है इसलिए अपीलाधीन निर्णय किसी भी सूरत में कायम रहने योग्य नहीं है।

4. अपीलांट की भूमि प्रश्नगत भूमि के पास है जो बारानी भूमि है जिसे सिंचित करने हेतु अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि पर ट्यूबेल लगा रखा है एवं उससे अपनी भूमि को सिंचित करता है। हल्का पटवारी द्वारा नियमानुसार नोटिस दिये जाने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि संबंधित आवंटन/नियमितिकरण नियमों के मध्यनजर रखते हुए आवंटन नियमों में दिये गए प्रावधानों के अनुरूप अतिक्रमण के नियमन संबंधित प्रावधानों के मध्यनजर प्रश्नगत भूमि के नियमितिकरण हेतु कार्यवाही सम्पादित किये जाने की अथवा नियमितिकरण संबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि के विवाद के निस्तारण बाबत अभिशंषा समक्ष आवंटन अधिकारी को किये जाने हेतु तहसीलदार हल्का को रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी परन्तु उक्त तथ्यों से परे जाकर पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट को पीठ पीछे उसे बिना सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय प्रसारित करने में विधिक भूल की है इसलिए अपीलाधीन निर्णय काबिल अपास्त है।
5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई नोटिस अपीलांट को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ इस प्रकारण विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अपीलांट की पत्नी पर तामील होना मानते हुए अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही सम्पादित कर विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस ना तो अपीलांट स्वयं को प्राप्त हुआ है ना ही किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब नोटिस ही राजू के नाम से जारी किया गया था तो वह अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता था इसलिए अपीलाधीन निर्णय काबिल निरस्ती के है।
6. अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर लगे ट्यूबेल हेतु उपयोग में ली जा रही भूमि को नियमानुसार आवंटित/नियमितिकरण करवाने की कार्यवाही हेतु तत्पर एवं इस हेतु

उसके द्वारा सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया है एवं अपीलांत प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार आवंटन/नियमितिकरण करवाने का अधिकारी है ऐसी स्थिति में अगर अपीलांत को बिना सुने अपीलाधीन एक पक्षीय निर्णय की आड़ में उसे प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उसे अपूर्ण्य क्षति होगी एवं आईन्दा मुकदमेंबाजी भी बढेगी।


7. अपीलांत को अपीलाधीन निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 09.09.2020 को हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में नलकूप हटाने एवं भूमि से बेदखल करने का कथन करने पर हुआ जिस पर अगले दिन नकल प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि के आवंटन संबंधित कार्यवाही हेतु सम्पादित करवाकर अपीलाधीन आदेश की ईल्म दिनांक 09.09.2020 से भीतर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन आदेश अपीलांत की पीठ पीछे उस पर नोटिस में बिना विधिवत तामील करवाएं कतई एक पक्षीय अवैध रूप से पारित किया है जिसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है लिहाजा न्यायहित में अपील प्रस्तुती में हुई देरी कन्डोन की जाकर अपील भीतर मियाद स्वीकार फरमाई जावें।

अतः अपील अपीलांत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2020 निरस्त किया जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया जावें कि अपीलांत को प्रकरण में साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय प्रसारित करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांत ने मैरिट के आधार पर पत्रावली का निर्णय पारित करने का निवेदन किया।


अधिवक्ता रेस्पोंडेंट राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अपीलांत की पत्नी को तामील होकर प्राप्त हुआ। अपीलांत द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज द्यूबेल लगाकर अतिक्रमण किया है। गैर मुमकिन पायतन की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। अतः अपील खारिज फरमावें।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि उक्त भूमि गैर मुमकिन पायतन की भूमि है। जिस पर नाजायज ट्यूबेल लगाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रकबा गैर मुमकिन पायतन की भूमि है जो की प्रतिबंधित श्रेणी में आती है जिसका नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

अतः अपील अपीलांत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय की प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(भागीरथ शाख RAS)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)